न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2020/00037

भुवनेश आत्मज स्व0 श्री बृजराज जाति बैरागी निवासी बालिका माध्यमिक स्कूल के पास, कुन्हाडी कोटा हाल निवासी बी– 178, रिद्धि–सिद्धि नगर, कुन्हाडी, कोटा ।

———अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, लाडपुरा जिला कोटा ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री राजेन्द्र सिंह जैठानिया, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. पैरोकार सरकार, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांक: 09.04.2021

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.01.2020 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 92ए एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत किया । उक्त वाद के साथ प्रार्थना अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम कुन्हाडी तहसील लाडपुरा जिला कोटा में गत खसरा नम्बर 131 व 131/349 की रकबा 05 बीघा 15 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि पर वादी के पूर्वज काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे थे उनकी मृत्यु के बाद वादी उक्त भूमि पर काबिज

काश्त है । उक्त भूमि माफी श्री गोविन्द देवजी की खातेदारी में माफी रिजम्पशन के पूर्व चली आ रही थी । माफी समाप्ति दिनांक 01.07.1963 को उक्त भूमि रिज्यूम होने के पश्चात् वादी के दादा श्री ने एक वाद उक्त आराजियात के बाबत् न्यायालय में प्रस्तुत किया था उक्त वाद में दिनांक 17.03.1967 को वादी के दादा के पक्ष में डिक्री किया गया और डिक्री होने के पश्चात् इंतकाल संख्या 24 दिनांक 17.07.1968 को उक्त निर्णय की पालना में वादी के दादा श्री का नाम राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार दर्ज किया गया । तत्पश्चात् सेटलमेंट विभाग ने उक्त भूमि के नये खसरा नम्बर 92 रकबा 0.92 हैक्टर, खसरा नम्बर 243 रकबा 0.13 कुल 02 किता की रकबा 1.05 हैक्टर कायम कर उक्त भूमि माफी श्री गोविन्द देव जी महाराज के नाम दर्ज कर दी । सेटलमेंट विभाग को उक्त इन्द्राज करने का कोई अधिकार नहीं था । वादी को अधिकार प्राप्त है कि सेटलमेंट विभाग द्वारा की गई गलती को दुरूस्त करवाते हुए उक्त भूमि को वादी के नाम खातेदारी में दर्ज करावे । प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है।

3. अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी के पक्ष में अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि ताफैसला वाद अप्रार्थीगण उक्त भूमि को खुर्द–बुर्द नहीं करें तथा प्रार्थी के शांतिपूर्वक कब्जे काश्त में हस्तक्षेप नहीं करें । उक्त कृत्य न तो स्वयं अप्रार्थीगण करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 27.01.2020 के द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.01.2020 से व्यथित होकर प्रार्थी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात पर न तो गौर किया और न ही उक्त दस्तावेजातों का उल्लेख करते हुए निर्णय पारित किया है । केवल मात्र यह कहते हुए प्रार्थना पत्र निरस्त किया गया कि वादी का उक्त आराजी पर हक व अधिकार नहीं बनता है जबकि अपीलान्ट अपने पूर्वजों के समय से ही काबिज काश्त चला आ रहा है । ताफैसला अपील वादग्रस्त आराजी को किसी अन्य व्यक्ति को खुर्द–बुर्द करने से रोका जाना आवश्यक है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.01.2020 निरस्त फरमाया जावे तथा रेस्पोडेन्ट को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभयपक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने लिखित बहस पेश की जो शमिल मिसल की गई उन्होंने अपनी लिखित एवं मौखिक बहस में कथन किया कि अपीलान्ट ने एक दावा अधीनस्थ न्यायालय में यह कथन करते हुए पेश किया था कि अपीलान्ट के दादा की आराजी खसरा नम्बर 131 व 131/349 कुल 05 बीघा 15 बिस्वा ग्राम कुन्हाडी तहसील लाडपुरा में स्थित है जिस पर अपीलान्ट के पूर्वज काबिज काश्त थे और उनकी मृत्यु के बाद अपीलान्ट काबिज काश्त है । जब माफी रिज्यूम हुई तो वादी के दादा ने एक दावा इस आराजी के बाबत् पेश किया वो

दिनांक 17.03.1967 को डिक्री हुआ और इस निर्णय की अनुपालना में इंतकाल संख्या 24 दिनांक 17.07.1968 को वादी के दादा के पक्ष में तस्दीक किया गया । उनका नाम राजस्व रिकॉर्ड में सवंत् 2026–35 तक बहैसियत खातेदार दर्ज रहा लेकिन सेटलमेंट विभाग ने उनका नाम विलोपित करते हुए गोविन्द देवजी महाराज का नाम गलत रूप से दर्ज कर दिया । सेटलमेंट विभाग को इस तरह से वादी के दादा का नाम हटाने का कोई अधिकार नहीं था । सेटलमेंट विभाग का यह कृत्य अनुचित है । अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटिपूर्ण रूप से अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र खारिज किया है । धारा 88 के दावे में कोई समय सीमा नहीं होती है । अधीनस्थ न्यायालय ने दस्तावेजात पर गौर नहीं किया है । अपीलान्ट अपने पूर्वजों के समय से इस आराजी पर काबिज है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.01.2020 निरस्त फरमाया जावे।

8. रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी मूर्ति मंदिर के खाते में दर्ज है जो शाश्वत नाबालिग है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.01.2020 बहाल रखा जावे ।

9. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अपीलान्ट के द्वारा अपील में कुछ दस्तावेजात की फोटो प्रतियॉ पेश की गई हैं इसमें नकल जमाबन्दी संवत् 2070–73 की फोटो प्रति है जिसमें आराजी मंदिर श्री ठाकुर जी गोविन्द देव जी के खाते में दर्ज है । नामान्तरकरण संख्या 24 की फोटो प्रति पेश की गई है जो दिनांक 17.07.1968 को खोला गया है जिसमें साबिक खसरा नम्बरान की रकबा 05 बीघा 15 बिस्वा आराजी गोविन्द देवजी महाराज के स्थान पर मोहननाथ, रामचरणदास के खाते में दर्ज करने के आदेश हुए हैं । इसके अलावा एक जमाबन्दी की फोटो प्रति भी पेश की गई है जो पठनीय नहीं है ।

10. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में नामान्तरकरण संख्या 24 की प्रमाणित प्रति पेश की गई है। नकल जमाबन्दी संवत् 2022–25 संलग्न है जिसमें वादग्रस्त आराजी माफी श्री गोविन्द देवजी महाराज रिज्यूम दिनांक 01.07.1963 पुजारी एवं कृषक मोहनलाल पुत्र रामचरण दास अंकित है। खसरा गिरदावरी संवत् 2039–42, संवत् 2031–34, संवत् 2030–32 एवं नकल जमाबन्दी संवत् 2070–73 नया खाता संख्या 72 भी पेश किया गया है ।

11. परीक्षण न्यायालय की पत्रावली पर जो नकल जमाबन्दी संवत् 2072–773 संलग्न की है उसमें वादग्रस्त आराजी हाल खसरा नम्बर 92 एवं 243 मंदिर श्री ठाकुर जी गोविन्द देव जी के खाते में दर्ज है । वादी के द्वारा हक घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का दावा पेश किया है परन्तु इसमें खातेदार गोविन्द देवजी को पक्षकार नहीं बनाया है जो कि हक घोषणा के दावे में आवश्यक पक्षकार है । मूर्ति मंदिर शास्वत नाबालिग होते हैं उनको सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना मूर्ति मंदिर के खाते में दर्ज आराजी के लिए अपीलान्ट के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करना हम उचित नहीं समझते हैं । तद्नुसार प्रथमदृष्टया प्रकरण अपीलान्ट के पक्ष में तय नहीं पाया जाता है । आवश्यक पक्षकार के अभाव में अपीलान्ट प्रार्थी धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत सहायता प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय ने विधि

सम्मत रूप से अपीलान्ट प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं ।

12. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.01.2020 बहाल रखा जाता है ।

13. निर्णय आज दिनांक 09.04.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

9/4/2021

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा